"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."




# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 2002—आश्विन 8, शक 1924


छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 25 सन् 2002)

### छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता ( संशोधन ) विधेयक, 2002

**छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) में संशोधन हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस विधेयक का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है कि धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1) में प्रविष्टि (सात) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाएं, अर्थात् :— **धारा 2 ( 1 ) ( य-1 ) में अंतः स्थापन.**

| | | |
|---|---|---|
| "(आठ) | एडाइना कॉर्डिफोलिया | (हल्दू) |
| (नौ) | मित्रागाइना पारविफ्लोरा | (मुण्डी) |
| (दस) | टर्मिनेलिया अर्जुना | (अर्जुन) |
| (ग्यारह) | डायोस्पाइरस मेलनोक्जाइलान | (तेन्दू) |
| (बारह) | मेलाइना आरबोरिया | (खम्हार)" |

**धारा-239 में संशोधन.**

3. (एक) मूल अधिनियम की धारा 239 के पार्श्व शीर्षक-"दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" के स्थान पर नया पार्श्व शीर्षक "दखल रहित भूमि भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों पर अधिकार" स्थापित किया जाय.

(दो) धारा-239 की उपधारा (1) और (2) में दखल रहित भूमि के पश्चात् "भाठा भूमि तथा बड़े झाड़/छोटे झाड़ का जंगल" जोड़ा जाए.

**धारा-239 की उपधारा (5) के पश्चात् अन्तः स्थापन.**

4. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

5. क. उस भाठा भूमि पर, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 (1980 का संख्यांक-69) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वृक्षारोपण के लिए स्थाई पट्टा मंजूर किया जा सकेगा.

5. ख. बड़े झाड़/छोटे झाड़ के जंगल पर वृक्षारोपण हेतु करार निष्पादित किया जा सकेगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारियों को बड़े झाड़, छोटे झाड़ के जंगल की भूमि पर तथा उक्त भूमि पर रोपित वृक्षों पर कोई भूमिस्वामी अधिकार उद्भूत नहीं होगा. करार धारक या उसके उत्तराधिकारी वृक्षों के भोगाधिकार के हकदार होंगे.

**धारा-241 में संशोधन.**

5. (1) मूल अधिनियम की धारा-241 की उपधारा (4) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर "पांच हजार रुपये" स्थापित किए जाएं.

(2) मूल अधिनियम की धारा-241 की उपधारा (5) के अंत में निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"तथापि ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी की वह सक्षम अधिकारी द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराए और ऐसे वृक्षों को काटकर गिराए जाने या हटाए जाने के कम से कम दस दिन पूर्व क्षेत्राधिकारिता रखने वाले राजस्व अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी को लिखित सूचना दें."

## उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वनों से संलग्न क्षेत्रों में इमारती लकड़ी की चोरी तथा सरकारी भूमि पर वृक्षों की अवैध कटाई के अनेक प्रकरण छत्तीसगढ़ सरकार के [illegible] में आए हैं इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि इमारती लकड़ी की चोरी तथा वृक्षों की अवैध कटाई के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए. उक्त [illegible] उल्लेखित प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1) तथा 241 की उपधारा (4) में संशोधन एवं उपधारा (5) अन्तः स्थापन किया गया है.

2. इंदिरा हरेली सहेली योजना अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा शासकीय भाठा भूमि तथा राजस्व वनभूमि (छोटे झाड़/बड़े झाड़ जंगल) में वृक्ष लगाकर वृक्षों से होने वाली आमदनी के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करने के लिए राज्य शासन की एक महती योजना है. इस योजना से हितग्राही को जहां, उसे प्रदत्त भू-खण्ड पर लगाये गये वृक्षों से स्थायी आमदनी प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण की रक्षा भी होगी. उक्त प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 में संशोधन किया गया है. उक्त प्रयोजन के लिए अध्यादेश लाया गया तथा राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित किया गया.

3. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

दिनांक 18 सितम्बर, 2002

भूपेश बघेल
भारसाधक सदस्य

## उपाबंध

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-1), 239, 241 की उपधारा (4) एवं (5) के मूल प्रावधान :—

इमारती लकड़ी के वृक्ष से अभिप्रेत है निम्नलिखित जाति के वृक्ष, अर्थात्—

| | | |
|---|---|---|
| (एक) | टेक्टोना ग्रेन्डिस | (सागवान) |
| (दो) | टेकोकारपस मारसुपियम | (बीजा) |
| (तीन) | डलबेरिया लेटी कोलिया | (शीसम) |
| (चार) | शोरिया रोवस्टा | (साल) |
| (पांच) | तिनसा | |
| (छ:) | टर्मीनेलिया टोमन्टोसा | (एन या साज) |
| (सात) | सन्टालम अलबम | (चन्दन) |

239 दखल रहित भूमि में रोपित फलदार वृक्षों और अन्य वृक्षों में अधिकार

(1) जहां इस [illegible] अभिलिखित हो [illegible] संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व, किसी व्यक्ति द्वारा किसी ग्राम की दखल रहित भूमि में कोई फलदार वृक्ष लगाया गया हो और वैसा वृक्षों के कब्जे तथा [illegible] वहां इस बात के होते हुए भी कि ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित है, ऐसा व्यक्ति और उसके हित उत्तराधिकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे [illegible] फलोपयोग के लिये किसी रायल्टी या अन्य प्रभार का भुगतान किये बिना हकदार होंगे.

(2) राज्य सरकार [illegible] किसी व्यक्ति या वि[illegible] या तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अन्य जातियों के [illegible] न्हीं व्यक्तियों को किसी ग्राम की दखल रहित भूमि पर, जो उस प्रयोजन के लिये पृथक रक्षित की जाय, फलदार वृक्ष या ऐसी अनु[illegible] वृक्ष, जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाएं, रोपित किए जाने और उगाने की अनुज्ञा दे सकेगा, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को वृक्षारोपण, [illegible]-पत्र और वृक्ष पट्टे इस धारा के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंध के अनुसार मंजूर कर सकेगा..

धारा-241 (4)

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उनके उल्लंघन का दुष्प्रेषण करेगा, किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर, के लिखित आदेश पर, एक हजार रुपये से अनधिक ऐसी शास्ति का जो कि उसके द्वारा अधिरोपित की जाय, भुगतान करने का दायी होगा और कलेक्टर यह और आदेश दे सकेगा कि इमारती लकड़ी के किन्हीं भी ऐसे वृक्षों का अधिहरण कर लिया जाय जो कि इस उपधारा के उपबन्धों के उल्लंघन (Confiscation) में काटकर गिराये गये हैं.

धारा-241 (5)

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर के इमारती लकड़ी के वृक्षों को अपने वास्तविक कृषिक प्रयोजन के लिये काटकर गिराये जाने या हटाये जाने को लागू नहीं होगी यदि ऐसा काटकर गिराया जाना अन्यथा इस संहिता के अन्य उपबन्धों के अनुसार हो.

**भगवानदेव ईसरानी**
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.